प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-बस्ती

दिनांक-01.01.2021

स्वाट टीम व थाना लालगंज पुलिस द्वारा लालगंज में हुई लूट के घटना का किया खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त व लूटी गई मोटर साइकिल व असलहा बरामद-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रवीन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी रुधौली श्री शक्ति सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री ब्रह्मा गौड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना लालगंज पुलिस टीम व स्वाट प्रभारी श्री विनोद कुमार यादव मय टीम ,सर्विलांस प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह मय टीम द्वारा दिनांक 26.12.2020 समय 20.00 बजे ग्राम महुराये तिराहे थाना लालगंज बस्ती में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 250/2020 धारा 392 IPC में प्रकाश में आये अभियुक्तो को आज दिनांक 01.01.2021 को समय 10.45 बजे ग्राम भक्तुपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विनोद कुमार यादव उर्फ भेजु पुत्र राम डोलावन निवासी ग्राम उंजी थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।
2. सर्वदा नन्द यादव पुत्र सूरज लाल यादव निवासी ग्राम रोवाँ गोवाँ थाना लालगंज जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

1.स्प्लेन्डर मोटर साइकिल नं0 UP-45-AC-7825 (लूटी गयी)

2. प्लेटिना मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट की (लूट की घटना में प्रयुक्त)

3. 1500/- रु0 (लूट का)

4. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.12.2020 को राम ललन चौरसिया पुत्र बाल गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम शिवपुर (महुराये) थाना लालगंज जनपद बस्ती अपनी दुकान से अपने घर शिवपुर (महुराये) जा रहा थे कि रास्ते में महुराये तिराहे से लगभग 10-20 मीटर पहले मेरी मोटर साइकिल नं0 UP-45-AC-7825 जिसे में चलाकर जा रहा था को ओवरटेक कर प्लेटिना मोटर साइकिल बिना नम्बर पर तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात मुझे रोक लिए तथा मेरी मोटर साइकिल जबरदस्ती छिन लिये तथा जेब में रखा पाँच हजार रूपया एवं एक मोबाइल रियल-मी XT जिसमें दो सिम एक वोडा कम्पनी का दूसरा सिम जियो कम्पनी का लगा था उसे छिनकर लालगंज/हथियाव की तरफ भाग गये। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 250/2020 धारा 392 IPC पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ से पाया गया कि हमारा एक गैंग है। इस गैंग का मुखिया विनोद उर्फ भेजु है। इस गैंग द्वारा इस जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई घटनाये कारित की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त गण द्वारा अपने दोस्तो के साथ असलहे के बल पर राहगिरो को सुनसान रास्ते में रोककर उन्हे डरा धमकाकर उनसे मोबाइल ,पैसा व अन्य सामान को लूट लेते है । उक्त घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तो द्वारा पूछने पर जुर्म से इकबाल करते हुए बताये कि दिनांक 26.12.2020 को ग्राम महुराये तिराहे थाना लालगंज बस्ती में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था यह कार्य हम लोग अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए करते है ।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त विनोद कुमार यादव उर्फ भेजु

1.मु0अ0सं0 145/2017 धारा 110 जी थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
2.मु0अ0सं0 423/2017 धारा 325,323,504 IPC थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
3.मु0अ0सं0 973/2016 धारा 380,457,411 IPC थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
4.मु0अ0सं0 74/2019 धारा 379,411 IPC थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती ।
5.मु0अ0सं0 119/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।
6.मु0अ0सं0 250/2020 धारा 392,411,413 IPC थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
7.मु0अ0सं0 01 /2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज जनपद बस्ती ।
8.एनसीआर 163/2018 धारा 323,504 IPC थाना दुबौलिया जनपद बस्ती ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री ब्रह्मा गौड़
2.स्वाट प्रभारी श्री विनोद कुमार यादव
3.चौकी प्रभारी कुदरहा उ0नि0 श्री योगेश कुमार सिंह
4.सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह
5.का0 सर्वेश नायक,का0 जितेन्द्र यादव सर्विलांस सेल जनपद बस्ती ।
6.हे0का0 महेन्द्र यादव ,का0 मनिन्द्र प्रताप चन्द्र ,का0 रमेश गुप्ता ,का0 देवेन्द्र निषाद स्वाट टीम जनपद बस्ती ।
7.का0 अरविन्द कुमार यादव ,का0 धन्नू कुमार यादव ,का0 रमेश चौहान ,का0 व्यास कुमार थाना लालगंज जनपद बस्ती ।